672

10/11/22

वाद संख्या 2022025170005072

प्रथम आदेश दिनांक 9/11/2022

न्यायालय उपजिलाधिकारी लालगंज मिर्जापुर

मुकदमा - रामदयाल पुत्र बनाम सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 80

ग्राम नागा पट्टी पो०

रामपुर तह० लालगंज

जनपद मिर्जापुर

नकल आदेश आवश्यक है पत्रावली में लगाना है।

ह० 10/11

Shot on OnePlus
ASHOK SONI

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :लालगंज
वाद संख्या :-5072/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202570205072
राम राज गुप्ता बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी रामराज गुप्ता सुत रामस्वरूप गुप्ता अध्यक्ष आर0आर0 गुप्ता शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान राजनगर एवं उ0 मा0 विद्यालय खानापट्टी तहसील लालगंज जिला प्रतापगढ़. द्वारा अन्तर्गत धारा 80 (1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत दिनांक 23.07.2022 को प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम खानापट्टी परगना रामपुर की गाटा सं0 330/0.831हे0, 329/0.164हे0 में से 0.134हे0, 335/0.049हे0 में से 0.010हे0, 336/0.056 हे0 में से 0.019हे0, 338/0.056हे0 में से रकबा 0.009हे0 कुल 5किता/1.003हे0 हिस्सा सम्पूर्ण भूमि बैनामा द्वारा प्राप्त की गयी है। जिसपर कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता है। उक्त भूमि पर रामराज गुप्ता सुत रामस्वरूप गुप्ता अध्यक्ष आर0आर0 गुप्ता शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान राजनगर एवं उ0 मा0 विद्यालय खानापट्टी एवं उक्त भूमि के हिस्सा सम्पूर्ण भाग में शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान एवं विद्यालय का भवन बना हुआ है। उद्घोषणा शुल्क मु0 1000/ रू0 दिनांक 23.07.2022 व जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 5500000 प्रति हे0 की दर से वाद ग्रस्त रकबा 1.003हे0, का मूल्यांकन 5516500/रू0 होता है। जिसका 01 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क मु0 55165/रू0 दिनांक 03.10.2022 व 01 प्रतिशत न्यायालय शुल्क मु0 55165/रू0 दिनांक 03.10.2022 को जमा कोष किया गया। तथा वाद दर्ज किया गया।

नियमानुसार लेखपाल का स्थलीय सत्यापन दिनांक 10.08.2022 राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आख्या दिनांक 13.08.2022 एवं तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 13.08.2022 को न्यायालय में प्रेषित किया है। कि वादग्रस्त भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है, उक्त भूमि आकृषिक/व्यवसायिक रूप में उपयोग किया जाता है। वादग्रस्त भूमि का बंटवारा धारा 176 ज0वि0अधि0 1950 के अन्तर्गत पूर्व में हो चुका है। साक्ष्य स्वरूप वादग्रस्त भूमि का खसरा व स्थल फोटो ग्राफ संलग्न पत्रावली है। वादग्रस्त भूमि को आकृषिक/व्यवसायिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है, जो0 च0 आकार पत्र 41व 45 की नकल संलग्न पत्रावली है, पक्षों को नोटिस जारी कर सहखातेदार की सहमति संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति नहीं है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं वादी द्वारा प्रस्तुत खतौनी ग्राम खानापट्टी परगना रामपुर तहसील लालगंज जिला प्रतापगढ़. की खतौनी वावत् सन् 1428 –1433 फ0 की खाता सं0 00184 की गाटा सं0 330/0.831हे0

Shot on OnePlus
By ASHOK SONI

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :लालगंज
वाद सख्या :-5072/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202202570205072
राम राज गुप्ता बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(2)

व खाता संख्या 00108 की गाटा संख्या 329/0.164हे0, व खाता संख्या 00154 की गाटा संख्या 335/0.049हे0 व 336/0.056हे0 व 338/0.056हे0 का परिशीलन किया। दर्शित वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। साक्ष्य स्वरूप वादग्रस्त भूमि का खसरा व स्थल फोटोग्राफ संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 13.08.2022 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 13.08.2022 के आधार पर भूमि स्थित ग्राम खानापट्टी परगना रामपुर तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़ की खतौनी वावत सन् 1428–1433 फ0 की खाता सं0 00184, 00108, व 00154 पर अंकित नाम रामराज गुप्ता सुत रामस्वरूप गुप्ता अध्यक्ष आर0आर0 गुप्ता शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान राजनगर एवं उ0 मा0 विद्यालय खानापट्टी की गाटा सं0 330/0.831हे0, 329/0.164हे0 में से 0.134हे0, 335/0.049हे0 में से 0.010हे0, 336/0.056 हे0 में से 0.019हे0, 338/0.056हे0 में से रकबा 0.009हे0 कुल 5किता/1.003हे0 सम्पूर्ण भूमि को अन्तर्गत धारा 80(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 आकृषिक घोषित किया जाता है। लेखपाल की स्थलीय सत्यापन दिनांक 21.09.2022 राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आख्या दिनांक 29.09.2022 एवं तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 29.09.2022 आदेश का अंग होगा। पत्रावली सत्यापित अभिलेखों, आख्या तथा शपथ पत्रों के असत्य या त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में यह आदेश उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा 82 के तहत स्वतः निरस्त समझी जायेगी। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक लालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 1/11/2022

1/11/2022
(सौम्य मिश्रा)
उपजिलाधिकारी
लालगंज,प्रतापगढ.

672
10/11/22
10/11/22
10/11/22

पृष्ठ संख्या :

Shot on OnePlus
By ASHOK SONI

महोदय,

संलग्न वाद अन्तर्गत धारा 80(1) उ०प्र० रा०सं० 2006 मुकदमा रामराज गुप्ता बनाम सरकार भूमि स्थित ग्रा०- खानापट्टी, पर०- रामपुर, तह०- लालगंज, जन०- प्रतापगढ़ के सम्बन्ध मे स्थलीय व अभिलेखीय जाँच की गयी, गाटा सं०- 330/0.831 हे०, 329मि/0.134हे०, 335मि/0.010हे०, 336मि/0.019हे०, 338मि/0.009हे०, = 5 किता/1.003 हे० रामराज सुत रामस्वरूप अध्यक्ष आर. आर. गुप्ता शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान व उ० मा० विद्यालय राजनगर खानापट्टी के नाम जरिए बैनामा संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादग्रस्त भूमि का पूर्व में धारा 176 ज. वि. अधि० के अन्तर्गत बंटवारा भी हुआ था। संलग्न नजरी नक्शा मे लालस्याही से प्रदर्शित उक्त भूमि के सम्पूर्ण भाग मे शिक्षण- प्रशिक्षण संस्थान एवं विद्यालय का भवन बना हुआ है, तथा अन्दर कुछ भाग मे विद्यालय का प्रांगण है। इसमे कृषि कार्य नही होता है, बतौर शिक्षण- प्रशिक्षण के व्यवसाय हेतु उपयोग मे है, जिसके अनुसार आकृषिक/व्यवसायिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमि धारा 77 उ०प्र० रा० सं० के अन्तर्गत सार्वजनिक खाते की भूमि नही है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ द्वारा निर्धारित सर्किल कृषि दर के अनुसार 5500000/रू० प्रति हे० की दर से 1.003 हे० क्षेत्रफल का मूल्यांकन 5516500/रू० पर 2% यानि 110330 रू० का स्टाम्प शुल्क देय होगा। नजरी नक्शा साथ मे संलग्न है।

अत: ग्राम- खानापट्टी, पर०- रामपुर, तह०- लालगंज, जन०- प्रतापगढ़ की गाटा सं०- 330/0.831 हे०, 329मि/0.134हे०, 335मि/0.010हे०, 336मि/0.019हे०, 338मि/0.009हे० = 5 किता/1.003हे० रामराज गुप्ता सुत रामस्वरूप गुप्ता अध्यक्ष आर. आर. गुप्ता शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान व उ० मा० विद्यालय राजनगर खानापट्टी की भूमि धारा 80(1) उ०प्र० रा० सं० 2006 के अन्तर्गत आकृषिक/व्यवसायिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या सेवा मे सादर प्रेषित है।

[illegible] कुमार
[illegible]

महोदय
धारा 80(1) के तहत आकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने हेतु आख्या [illegible]
सादर सेवा मे प्रेषित
[illegible]

रुद्र कुमार त्रिपाठी
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र तहसील – लालगंज

महोदय
संलग्न आख्या स्वीकृत [illegible]
13.8.22

Shot on OnePlus
By ASHOK SONI

नजरी नक्शा बावत गाटा सं०- 329, 330, 335, 336, 338 स्थित ग्राम- खानापट्टी, प०- रामपुर, त०- लालगंज, ज०- प्रतापगढ़।

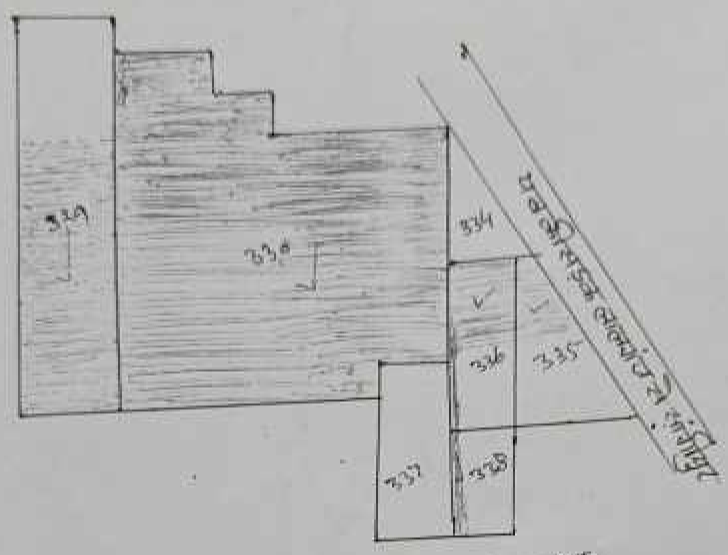

आशीष कुमार
लेखपाल

hot on OnePlus
y ASHOK SONI